

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारा

E-mail-dcf.bcn.forest@rajasthan.gov.in, Tel.No. 074538230244

क्रमांक 0 एफ ()/एफ.सी.ए./ उ.व.स./2024-25/ 7327

दिनांक 06-11-2025

निमित्त:-

✓ अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड III
बारा।

विषय :- Proposal for Diversion of 286.47 ha of forest land in favour of Executive Engineer, Water Resource Division III, Baran Construction of Hathiyadeh Medium Irrigation Project in Baran District, Rajasthan.

Proposal no :- FP/RJ/IRRIG/24263/2017

संदर्भ: MoEF के पत्र दिनांक 23.06.2025 को जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि MoEF के पत्र दिनांक 23.06.2025 को Proposal for Diversion of 286.47 ha of forest land in favour of Executive Engineer, Water Resource Division III, Baran Construction of Hathiyadeh Medium Irrigation Project in Baran District, Rajasthan. प्रकरण में 286.47 हैक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरण में ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या FP/RJ/IRRIG/27263/2017 Dated 23/06/2025 के संबंध में प्रासांगिक पत्र द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति शर्ताधीन जारी की गई है, जिसकी पालना में इस कार्यालय द्वारा जारी डिमांड राशि निम्नानुसार जरिये ई-चालान से ऑनलाईन जमा करवाना सुनिश्चित करावे-

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या- V के क्रम में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राज0 के पत्र क्रमांक 86-143 दिनांक 13.01.2025 से नवीन श्रमिक दरों में परिवर्तन अनुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु नवीन वर्तमान दर 285/- प्रति मानव दिवस है।

I NFL 286.50 Ha		
1	96.50 ha x 370000=	35705000
2	86.40 ha x 370000=	31968000
3	59.60 ha x 370000=	22052000
4	26.340ha x 370000=	9745800
5	17.66ha x 447000=	7894020
	Total Amount	107364820
II DFL 300 ha		
1	126ha x 243400	30668400
2	105ha x 243400	25557000
3	69ha x 243400	16794600
	Total Amount	73020000
III NPV Amount		
	957780 x 286.47	274375236.60
IV CAT PLAN Area 269.317 SQ km		
		204.52 Lakhs
V Falling Tree Amount		
		50000
	Total Final Amount	475262056.60/-

अतःकैम्पा मद में समस्त राशि जमा करवाकर रसीद इस कार्यालय में प्रेषित करे। ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सकें। उक्त के अलावा सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार पालना/वचनबद्धता सैद्धान्तिक स्वीकृति अनुसार भिजवाना सुनिश्चित करावें। प्रकरण में नियमानुसार जमा की जाने वाली राशि स्टेट कैम्पा के निर्धारित मद में ई-चालान द्वारा ऑन लाईन जमा करवाकर चालान की प्रति यू.टी.आर संख्या अंकित करने के साथ उपलब्ध करावें। इसके अलावा भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक 7-23/2012-एफ.सी दिनांक 24.07.2013 से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.) के निर्णय दिनांक 07.11.2012 की पालना में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित करवाकर समाचार पत्रों की एक मूल प्रति व 4 सेट प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रमाणित प्रतियों की पालना के साथ फाईल/फोल्डर बनाकर इस कार्यालय में उपलब्ध करावें, ताकि आप द्वारा प्रस्तुत पालना/वचनबद्धता /अग्रिम कार्यवाही हेतु उच्च कार्यालय को प्रेषित की जा सकें

(डॉ. सुनील कुमार गौड)
उप वन संरक्षक
बारां

क्रमांक 0 एफ ()/एफ.सी.ए./उ.व.स./2024/

दिनांक

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए) राज 0 जयपुर।
2. संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा।

(डॉ. सुनील कुमार गौड)
उप वन संरक्षक
बारां

Signature Not Verified

RajKaj Ref No.:
18670794
eSign 1.0



Digitally signed by Dr. Sunil Kumar G
Designation : Deputy Conservator Of
Forest
Date: 2025.11.06 12:00:47 IST
Reason: Approved
Location: